

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- F4(ई)/से.नि./अलेसे-III / 333

दिनांक :- 30/06/2017

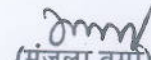
आदेश संख्या : 48/2017-18

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित कार्मिकों को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के फलस्वरूप उनके नाम के सामने कॉलम संख्या 4 में अंकित तिथि से राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है :-

क्र.स. (1)	नाम (सर्वश्री) (2)	जन्मतिथि (3)	से.नि. तिथि (4)	वर्तमान पदस्थापन (5)	विशेष विवरण (6)
1	बंशीधर जाट - [9812]	01/07/1957	30/06/2017	निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर - 1090	-

वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प. 12(6) वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.03.2015 के क्रम में यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त कार्मिकों के विरुद्ध आज तक :-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अंतर्गत कोई विभागीय जांच विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 19 के अंतर्गत कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।

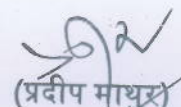

(मंजुला वमा)
निदेशक

क्रमांक :- F4(ई)/से.नि./अलेसे-III / 333

दिनांक :- 30/06/2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग जयपुर
3. संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/ विभागाध्यक्ष
4. संबंधित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - प्रथम / सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - द्वितीय / कनिष्ठ लेखाकार श्री बंशीधर जाट •
कार्यालय राजा
5. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
6. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित/निजी पत्रावली।


(प्रदीप माथुर)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक III)